

कार्यालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर (म.प्र.)

क्र०- /2023

शाजापुर दि०-04.01.2024

- आदेश -

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के मेमोरेण्डम क्र. बी/5379/III-2-5/14 जबलपुर दिनांक 09.10.2017 के पालन में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध बंदियों के रिमांड पत्रावली (जिन पत्रावली में अभियोग पत्र पेश किया जा चुका है, उनको छोड़कर) में आगामी रिमाण्ड विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया जाना है। उस हेतु निम्नलिखित न्यायिक दंडाधिकारी की ड्यूटी लगायी जाती है, जो प्रतिदिन दोपहर 2.30 बजे से 03.00 बजे के मध्य विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमाण्ड कार्यवाही करेंगे :-

<u>जनवरी 2024</u>	<u>फरवरी 2024</u>	न्यायिक अधिकारी
दि०-5, 6, 9, 10, 11	दि०-1, 2, 3, 5, 6, 7	श्री आदिल खान जे.एम.एफ.सी., शाजापुर
दि०-12, 16, 17, 18, 19	दि०-8, 9, 10, 12, 13	श्री अनिरुद्ध जैन जे.एम.एफ.सी., शाजापुर
दि०-20, 22, 23, 24, 25	दि०-15, 16, 19, 20, 21	डॉ. स्वाति चौहान जे.एम.एफ.सी. शाजापुर
दि०-27, 29, 30, 31	दि०-22, 23, 24, 26, 27, 28, 29	श्री सतीश कुमार शुक्ला जे.एम.एफ.सी. शाजापुर

नोट - यह स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य अधिकारी के अनुपस्थित रहने की दशा में कार्य विभाजन पत्रक भाग-2 के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त कार्यवाही संपन्न करावेंगे।

आशीष परसाई  
सी.जे.एम. शाजापुर (म०प्र०)

प्रतिलिपि :- पृ.क्रं. 10 /2024

शाजापुर दिनांक-04.01.2024

01. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. श्री/श्रीमती.....ए०सी०जे०एम०/रजिस्ट्रार/जे०एम०एफ०सी०/शाजापुर की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि अपने न्यायालय के रिमांड पत्रावली विडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु कॉलम नंबर-1 में उल्लेखित न्यायालय में दर्शाए समय से पूर्व प्रस्तुत करने हेतु संबंधित लिपिक को निर्देशित करें
03. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय शाजापुर की ओर सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित
04. अधीक्षक, जिला जेल शाजापुर की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।

आशीष परसाई  
सी.जे.एम. शाजापुर (म०प्र०)